सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 5571/Admin.(B-I) Section, Allahabad: Dated:August, 29, 2025 पर पारित श्रीमान जी के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के प्राचीन परिसर में स्थित यूकेलिप्टस तथा सिरस के पेड़ों की नीलामी की बोली जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नवीन परिसर के दस कक्षीय न्यायालय भवन के "हाल आफ जस्टिस" में दिनांक 08.09.2025 को सायं 04.00 करायी गयी थी। जिसमें बोलीकर्ता द्वारा बकाया धनराशि जमा न कर पाने के कारण पूर्व में हुई नीलामी को रद्द कर दिया गया। नई नीलामी दिनांक 19.09.2025 को सायंकाल 04.00 हाल आफ जस्टिस में करायी जानी है। नीलामी में प्रतिभाग लेने के इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी हेतु न्यायालय की वेबासाइट http://districts.ecourts.gov.in/azamgarh पर देख सकते हैं अथवा जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नजारत अनुभाग में संपर्क कर सकते हैं।

तत्क्रम में कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़ द्वारा प्राप्त पत्रांक 3158/22-1 दिनांक, आजमगढ़ जून, 21/2025 द्वारा वृक्षों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से दिया गया है।

क्रम	प्रजाति व दशा	व्यास श्रेणी	संख्या
1	यूकेलिप्टस (अर्द्ध सूखा, खड़ा)	55-60	1
2	यूकेलिप्टस (अर्द्ध सूखा, खड़ा)	75-80	1
3	सिरस (गिरा, सड़ा नाकाबिल)	40-50	1
4	यूकेलिप्टस (सूखा, खड़ा)	35-40	1
5	यूकेलिप्टस (गिरा सड़ा , नाकाबिल)	35-40	1
	योग		**5**

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत धनराशि दिनांक 19.09.2025 को दोपहर 01.00 बजे तक नजारत अनुभाग में कैशियर के पास जमा करना अनिवार्य है।
2. नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति कुल धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जमा करने के पश्चात ही नीलामी में भाग ले सकते है।
3. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को पेड़ काटने के पश्चात उससे सम्बन्धित सभी अवशिष्ट हटाना होगा अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी जमानत धनराशि से अवशिष्ट हटाने का कार्य करा लिया जायेगा।
4. सबसे ऊंची बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी।
5. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को नीलामी की पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना अनिवार्य है।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को तीन दिन के अन्दर उपरोक्त पेड को काटकर हटा लेना होगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को वन विभाग से आवश्यक परमिट स्वयं प्राप्त करना होगा।
8. पेड़ काटने में यदि न्यायालय भवन को कोई क्षति होती है तो उसकी मरम्मत नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति को तत्काल कराना होगा। यदि नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है तो उसको कटे पेड़ ले जाने से रोका जा सकता है।

भवदीय,

(अजय श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय सं. 03
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
2. ओ०एस०डी० कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु सादर प्रेषित।
3. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर जनपद न्यायालय आजमगढ़ को जनपद न्यायालय के बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी(नजारत अनुभाग) कलेक्ट्रेट आजमगढ़।
5. कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
7. जिला सूचना अधिकारी, स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

भवदीय,

(अजय श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय सं. 03
आजमगढ़।